



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने में गांधी जी एवं अन्य का योगदान

डॉ० राकेश कुमार राम

जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

भारत में गाँधी जी वंचितों के अद्वितीय नेता थे। वे अहिंसा धर्म के मानने वाले योद्धा थे जो उस अंग्रेजी हुकूमत से भारत की करोड़ों जनता की आजादी के लिए आन्दोलन किये जिसका विश्व में फैले साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। गाँधी जी ने भारत की दासता भोगी आम जनता किसानों, मजदूरों, गांव के शिल्पियों अछुतों की दुर्दशा को बहुत निकट से देखा था। वे शुरू से यही मानते रहे कि भारत की जनता को एकजुट होकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना चाहिए और आजाद भारत में अपनी समस्याओं का हल ढूँढ़ना चाहिए। उनके नेतृत्व में लगभग तीस वर्ष तक देश में आन्दोलन का दौर चला। इस प्रकार तीन दसक तक गांधी स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रेरणा स्रोत बने रहे। उनके मार्गदर्शन में ही भारत की जनता ने देश की आजादी पायी।

निःसंदेह तैत्तिस् वर्ष तक आजादी की जंग में गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया उसका अभ्युदय सुदूर दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 1893 से 1914 तक उस अपरिचित देश में गांधी ने हर प्रकार की कठिनाइयों के बीच सत्याग्रह के इस अजेय अस्त्र का प्रयोग किया था। जनवरी 1915 को गांधी अपनी राष्ट्रिय पोशाक (काठियावाड़ी अंखरखा, धोती और सफेद साफा) पहने बम्बई बंदरगाह पर पत्नि कस्तूरबा के साथ उतरे। भारत की आजादी की लड़ाई का अभियान छेड़ा तथा उसे गतिशील बनाया। जनता को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के सामाजिक रचनात्मक और सत्याग्रह और राजनीतिक महत्व के कार्यक्रम चलाये। देश को नया राजनीतिक दर्शन दिया तथा अहिंसा और सत्याग्रह के जरिये ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। साथ ही सामाजिक विषमताओं-रुढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई।

उधर बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर ने अमेरिका और लंदन में उंची शिक्षा समाप्त करने के पश्चात, पहले तो मंदिर-प्रवेश, सार्वजनिक जलाशयों से अछुतों द्वारा पीने का पानी लेने, कुरीतियां मिटाने और जातीय संगठन बनाने के विरुद्ध अनेक कार्य किए, बाद में उन्होंने महसूस किया कि बिना सत्ता प्राप्त किये सामाजिक परिवर्तन असंभव हैं। बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर ने वास्तव में अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं वंचितों के सामाजिक-राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लंदन में धर्म युद्ध की शुरुआत की, लेकिन जब स्वतंत्रता ने भारत के द्वार पर दस्तक दी तब गांधी, सरदार पटेल और नेहरू ने ही काँग्रेस और गांधीवादी दर्शन के प्रखर आलोचक बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर को ही भारतीय जनता के आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान की रचना हेतु प्रस्तावित मसौदे की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने में पहल करके दूरदशिता का परिचय दिया। इससे डॉ० अम्बेडकर को भी दलितों की भावनाओं को संविधान की धाराओं में पिरोने का अद्वितीय स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया जिसके लिए वे जीवन प्रयत्न संघर्षरत रहे।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी भारतीय इतिहास में परंपरागत और नए जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा के साथ-साथ नवजागरण को शंख फूँकते रहे। उन्होंने दो महायुद्धों के बीच भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, असहयोग और अहिंसात्मक सत्याग्रह के जरिये। हजारों साल से परस्पर वैमनस्य और गुलामी का जीवन जिने की अभ्यस्त भारतीय जनता को उन्होंने सोते हुए अवस्था से जगाया। उनमें राष्ट्रियता और देश प्रेम की भावना भरी, त्याग और सर्वस्व निछावर करने की विचार शक्ति पैदा

की। उनमें विश्वास जागृत किया कि वे स्वराज्य पाने के अधिकार हैं अपना शासन चलाने में सक्षम हैं। उन्होंने धूल और मिट्टी में से नेताओं को पैदा किया। वे बड़ी जिम्मेदारी से कार्य करते थे। पूरे भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के प्रति अनुराग पैदा करने कि उनमें क्षमता थी। उन्होंने पाश्चात्य दर्शन और जीवन शैली का अध्यानुकरण करने के स्थान पर स्वदेशी की भावना अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्वर्ण हिन्दुओं को प्रेरित किया कि वे अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं वंचितों को अपना भाई समझे, उन्हें गले लगाये तथा अपने आप में परिवर्तन करें। यह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रयोग था। दूरगामी परिणामों की दृष्टि से देखें तो गांधीवादियों द्वारा किए जानेवाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं वंचितों के कल्याण कार्यों ने ग्रामिण समाज के निम्नतम और सबसे शोषित वर्गों तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने का कार्य किया।

वंचितोत्थान हेतु डा० भीम राव अम्बेडकर ने अंत तक अपना धर्मयुद्ध जारी रखा। वंचित आन्दोलन कि दिशा में 15 मार्च 1947 का दिन स्मारणीय रहेगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ (आल इंडिया शिड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन)की ओर से डा० अम्बेडकर ने संविधान सभा में अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं वंचितों के हित संरक्षण के संबंध में ज्ञापन दिया। इसकी प्रस्तावना में डा० अम्बेडकर ने लिखा: जब यह निश्चित हो गया कि भावी भारत का संविधान तैयार करने का कार्य संविधान सभा को सौंपा जाने वाला है तो उसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की कार्य समिति ने मुझसे कहा कि मैं वंचितों के सुरक्षापायों के विषय में एक ज्ञापन तैयार करूँ जिसे परिसंघ की ओर से संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाय। इस ज्ञापन में मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अनुसूचित जातियों के सुरक्षापायों की परिभाषा दी गयी है। वंचित आन्दोलन की दिशा में 15 मार्च 1947 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा से पांच माह पूर्व डा० अम्बेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ और एस०सी०एफ० की, भारत के भावी संविधान में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के हित संरक्षण के संबंध में ज्ञापन दिया। अनुसूचित जातियों/जनजातियों में यह बात दुहराई गयी है कि वंचित वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अन्य नागरिकों और अल्पसंख्यकों की तुलना में इतनी खराब है कि उन्हें इस संरक्षण के अलावा जिसे वे नागरिकों तथा अल्पसंख्यकों के नाते प्राप्त करेंगे, बहुसंख्यकों के अत्याचार और भेदभाव के विरुद्ध विशेष सुरक्षापायों की जरूरत होगी। दूसरा ज्ञापन यह है कि अनुसूचित जातियाँ अल्पसंख्यकों से भिन्न हैं। यह ज्ञापन संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाना था। डा० अम्बेडकर ने इसे व्यापक लोकहित में पहले ही सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने स्पष्टतः कहा कि भारत के भावी संविधान के प्रस्तावित उद्देश्यों में अन्य देशवासियों के साथ सुविधावंचित वर्गों को बेहतर अवसर सुलभ कराते हुए सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विषमता दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

वंचितोत्थान हेतु डा० अम्बेडकर की तुलना में गांधी जी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। गांधी जी भारत की राजनीति में लोक नेता के रूप में आंधी-तुफान की तरह आए। अपने जीवनकाल में ही वे एक उगते हुए सूरज बन गये थे। उनका मुख्य लक्ष्य देश की आजादी था। इसलिए गांधी अपने को व्यवहारिक आदर्शवादी मानते थे। यह उनके व्यक्तित्व की मुख्य विशेषता थी। व्यवहारिक आदर्शवादी एक-एक कदम सोच समझकर उठाते थे। भारत जैसे देश में तो और भी ज्यादा, रुढ़ियाँ, अंधविश्वास और कई प्रकार की विषमताएँ हावी थी। इन परिस्थितियों में सबको साथ लेकर चले बिना स्वराज्य की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। इस विवशता से गांधी बहुत हद तक क्षुब्ध होते देखे गये। यहाँ तक की जीवन की आखिरी दौर को छोड़कर वे आजीवन वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन करते रहे। नेहरू, लोहिया, जयप्रकाश तथा कम्युनिस्ट नेताओं ने खुले शब्दों में यह नहीं कहा कि मंदिर जाने या न जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। असल मुद्दा जातिवाद और छुआछूत मिटाना है। गरीबी दूर मिटाना है। दूसरी ओर पारंपरिक प्रतिकों को नया अर्थ देने में कुशल गांधी ने भारतीय समाज के अनुसूचित जातियों/जनजातियों को हरिजन कहा। गांधी छुआ-छूत जरूर मिटाना चाहते थे, किन्तु इस हेतु वे स्वराज्य आंदोलन के लिए बनाये गये भारतीय जनता के मोर्चे में न तो दरार आने देना चाहते थे और न इसके बहाने अंग्रेज सरकार को भारत में बने रहने का समय देना चाहते थे। गांधी अछूतों के हिन्दू समाज से अलग होने की बात से भी सहमत नहीं थे। इससे उनपर अंतर्विरोधी रूख लेने की तोहमत भी लगी। यही कि उन्होंने मुसलमानों और सिखों को तो अल्पसंख्यक होने के नाते विशेष अधिकार देना स्वीकार कर लिया, परंतु वंचितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए।

गांधी जी ने 1920 में असहयोग आन्दोलन के साथ राष्ट्रिय आन्दोलन का नेतृत्व संभाला। तब से देश स्वाधीन होने तक वे उसके सर्वोच्च नेता रहे। इस बिच उन्होंने देश और दुनिया कि कमोबेश सभी महत्वपूर्ण समस्याओं, घटनाओं, यहां तक कि प्राकृतिक चिकित्सा जैसे विषयों पर भी अपने विचार व्यक्त किए और लिखे। कई विषयों पर उनके विचारों में बदलाव आया। नए अनुभवों और बदली हुई परिस्थितियों में उन्होंने पुरानी मान्यताओं का मोह छोड़कर सर्वथा नई मान्यताये अपना ली। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अंतर्विरोधी बातें कहने के डर से अपनी नयी अनुभूतियों और अनुभवों के अनुसार अपने विचारों के विकास को

कैसे दबा सकता हूँ। इसलिए जब उनसे पुछा गया कि आप अपने सत्याग्रह दर्शन की व्याख्या करते हुए एक ग्रंथ क्यों नहीं लिखते तो उन्होंने हंस कर कह दिया, मेरे मन की बनावट विद्वानों की तरह लिखने की नहीं है। मैं कार्य करने वाला आदमी हूँ। आन्दोलन के लिए जरूरी विचारों और कार्यक्रमों की स्पष्टता के लिए जरूरी होने पर लिख भी लेता हूँ। इसलिए जब मेरे विचारों में कोई अंतर्विरोध दिखे तो पुरानी बात को भुलकर नए कथन को मान्य करता हूँ। आज हम जानकारीयों, विचारों, अवधारणाओं को निरंतर अपडेट करते रहते हैं। लेकिन इससे बहुत पहले गांधी ने यह प्रयोग आरंभ कर दिया था।

भारत रत्न बाबा साहब डॉ० भीम राव अम्बेडकर इसके बिल्कुल विपरीत थे, जिन्हें उनके अनुयायी पूरी श्रद्धा से बाबा साहब कहते हैं। डॉ० अम्बेडकर जाति-पांति तोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। इस लक्ष्य को पूरा करने में उनको अंग्रेज सरकार से सहयोग लेने में कोई हिचक नहीं थी। वे स्वराज्य प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के उतावलेपन और भारत को स्वतंत्र करने की अंग्रेजों की अनिष्ठा का लाभ उठाकर अपने लोगों का भविष्य संवारने के लिए स्वतंत्र भारत में उनके सामाजिक-राजनीतिक अधिकार सुरक्षित कर लेना चाहते थे। वे विद्वान भी थे और कर्मठ राजनीतिज्ञ भी। उनकी वैचारिकता पर विज्ञाननिष्ठा, आधुनिक सामाजिक चिंतन और पश्चिमी राजनीतिक-आर्थिक अवधारणाओं की गहरी छाप थी। उनका मानना था कि किसी भी प्रकार की सामाजिक क्रांति के लिए सुस्पष्ट विचारधारा जरूरी है। उन्होंने लिखा भी है कि मैं राजनीतिक सामाज-कार्य में होते हुए भी आजीवन विद्यार्थी हूँ। अध्ययनशील अम्बेडकर ने हिन्दू समाज व्यवस्था के दोष बताने और उसमें अंतर्निहित अनुवांषिकता को उजागर करने के लिए आधुनिक सामाजिक शास्त्रों का ही अध्ययन नहीं किया बल्कि इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन हिन्दू धर्मशास्त्रों को भी बारिकी से पढ़ा था।

गांधी जी और डॉ० अम्बेडकर की पहली मुलाकात 14 अगस्त 1931 को बंबई के मणि भवन में हुई। प्रारंभिक औपचारिकताओं के तुरंत ही दलित समस्या पर दोनों में मतभेद स्पष्ट रूप से उभर कर आया। इन दोनों की बातचीत का विवरण पढ़े तो यह बात उभर कर आती है कि गांधी और अम्बेडकर में संवाद नहीं सिर्फ विवाद हुआ। जहाँ गांधी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को आजाद करवाना था तथा आजादी के इस आंदोलन में सभी जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करना था, वही दूसरी ओर अम्बेडकर की मूल समस्या भारत की राजनीतिक आजादी के बजाय जाति प्रथा व सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति कराकर वंचित लोगों को हिन्दू समाज में उनके मानवाधिकारों को दिलवाना था। अपने जगह पर गांधी जी की भी वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने में सराहनीय भूमिका रही है।

संदर्भ-सूची:

1. विपिनचंद्र, इंडियन लैफ्ट-क्रिटिकल एप्रैजल: एवं मृदुला मुखर्जी, पेजेन्दी एंड दी नेशनल इन्टैगोशम (जे०एन०यू०)
2. कुलकर्णी, सुमित्रा, अनमोल विरासत, पृ०-21
3. डॉ० अम्बेडकर जन्म शताब्दि वर्ष में विश्वद्यालय अनुदान आयोग और भागलपुर विश्वद्यालय की एक विचार गोष्ठी में कन्हैयालाल चंचरीक के अम्बेडकर और गांधी वयख्यान (20,24 मार्च 1992) से उद्धृत पृ०-2
4. गिल, एस०एस०, गांधी-ए सबलाइम फैल्योर, पृ०-94
5. सरकार सुमित माडर्न इंडिया (हि०सं०), पृ०372-73
6. डॉ० अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 2 पृ० 169-171
7. फड़के य०दि०, अम्बेडकरी चलवल, पृ०-34
8. गेरे, एम०एस०, दि सोशल कावन्टैक्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, पृ०-133
9. सरदार, गंगाधर बालकृष्ण, गांधी मणि अम्बेडकर, पृ०-10 (गणेश मंत्री द्वारा उद्धृत)
10. लिमये मधु, डॉ० अम्बेडकर एक चिंतन, पृ०-24 (गणेश मंत्री द्वारा उद्धृत)